

तहसील नरवाना में स्थित भूमि के प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2017-18 रिहायशी स्थल

क्र० स०	जिस क्षेत्र के रेट निर्धारित किये गये हैं का नाम	खसरा नम्बर	प्रति वर्ग गज रेट	कलेक्टर रेट वर्ष 2016-17	प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2017-18	कलेक्टर रेट की गई बढौतरी/ घढौतरी का प्रतिशत	कलेक्टर रेट की गई बढौतरी/ घढौतरी का कारण
1	माडल टाउन, पतराम नगर आर्य उप-नगर, पुराना कारखाना, कृष्णा गली, नगर पालिका वाली गली, माल गोदाम वाली गली, एस0डी0 गर्ल्ज कालेज के सामने वाली दोनों गलियां पुरानी तहसील ऑफिस से लक्ष्मी सिनेमा तक दोनों तरफ की रिहायशी बस्तियां, किशनचन्द कालोनी व उसके साथ लगता ऐरिया लाजपत राय मार्केट रिहायशी प्रोफेसर कालोनी।		22000	22000			
2	बगीची दलीप सिंह आर्य स्कूल के पिछे बाबूराम वाली गली अग्रेसर नगर बीरबल नगर शक्ति नगर नया कारखाना पुरानी कचहरी रोड़ वाटर वर्कस चौक से नरवाना माईनर तक		12500	12500			
3	बाबा कुन्डी टैम्पू यूनियन के साथ वाली रेलवे कालोनी के साथ रिहायशी बस्ती, उदमीराम वाली गली, सर छोटूराम कालोनी		9000	9000			
4	डाडली वाला गमा हनुमान नगर रोड़ पर व हरिनगर रोड़		11000	11000			
4ए	हाउसिंग बोर्ड कालोनी		11000	11000			
5ए	रामनगर नए बस स्टेण्ड के पीछे तथा दोनों तरफ साथ लगती बस्ती, डी0ए0वी0 स्कूल नरवाना माईनर के बीच की बस्ती निरकारी कालोनी हनुमान नगर सड़क से हटकर		9000	9000			

5बी	हरि नगर सड़क से हटकर हैफड़ गोदाम चमेला कालोनी भगत सिंह नगर प्रेम नगर पटेल नगर हरियल चौक से बालदिवान स्कूल के बीच की बस्ती		6400	6400		
6	नरवाना लाल डोरे के अन्दर की पतियां मोर पती, चौपड़ा पती, मिर्धा पती, लोचब पती सैनी मौहल्ला, रामदासियां मौहल्ला, दड़ा मौहल्ला सी0आई स्टाफ वाली गली, पुराना बाजार महाजन मौहल्ला धौला कआं सुनार वाली गली, नई धर्मशाला वाली गली, रेवारी मौहल्ला गांधी नगर		5000	5000		
7ए	धर्मसिंह कालोनी, कालेज स्टेडियम, सिनियर सकैन्डरी स्कूल व सिविल हस्पताल के पीछे की बस्तियां		5700	5700		
7बी	इन्दिरा कालोनी बिशना भटठा, शास्त्री नगर जोहड़ी दसावाली, जोगा वाली जोहड़ी पुना वाली जोहड़ी कसाई बस्ती		5000	5000		
8	बसन्त बिहार		11500	11500		
8ए	उकलाना रोड़ पर रेलवे लाईन के आस-पास के रिहायशी क्षेत्र		9000	9000		
9	नगर पालिका हदूद में काश्ता भूमि नरवाना सड़क पर सड़क के नम्बरान की सूची साथ संलग्न है (सड़क से दो एकड़ की गहराई तक)		7600000	7600000		
10	नगर पालिका हदूद में काश्ता भूमि नरवाना सड़क से दूर (सड़क से दो एकड़ की गहराई तक)		6300000	6300000		

नोट :- यदि एक हजार गज से कम भूमि काश्ता खरीदी जाती है तो उसके रेट नजदीक लगती कालोनी के रिहायशी भाव (वर्ग गज के हिसाब से) लगेंगे।

निर्मित मकानों के लिए प्रति वर्ग फुट भाव

1	प्रथम श्रेणी के निर्मित भवनों के लिए आर0सी0सी0 का लेन्टर, बाहर और भीतर से सिमेन्ट का पलस्तर, चिप्स/पत्थर का फर्श		800	800		
2	द्वितीय श्रेणी के निर्मित भवनों के लिए, कड़ियों की छत, मिट्टी चूने की चिनाई सिमेन्ट का पलस्तर सादे फर्श		600	600		
3	तृतीय श्रेणी के निर्मित भवन प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त		500	500		
4	यदि किसी सीन का नाम मुल्य सूची में आने से रह गया हो तो उस सीन का मुल्य उसके साथ लगती कालोनी वाला गजों के हिसाब से लगेगा।					
5	जो खाली रकबा गैर मुमकिन आबादी के बीच में या आबादी के साथ पड़ता है उसका रेट उसके साथ लगती कालोनी वाला गजों के हिसाब से लगेगा।					
6	यदि किसी मकान में कोई किरायेदार 20 वर्षों से बैठा है तो उसकी कीमत निर्धारित कीमत से 20 प्रतिशत कम होगी परन्तु इसके साथ सबूत पेश करना होगा। इसी प्रकार काश्ता भूमि पर कोई मुजारा 20 वर्षों से पुराना बैठा है तो उसे भी प्रस्तावित मुल्य सूचि के अनुसार 20 प्रतिशत की छँट होगी। उपरोक्त दोनों स्थिति में 20 वर्ष अधिक से समय से बैठा है तो प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की 1 प्रतिशत अधिक छूट मिलेगी।					
7	सड़क के साथ नगर हद्द से बाहर सड़क के साथ लगती एक एकड़ की गहराई तक अन्तिम पृष्ठ पर जो नगर पालिका हद्द से बाहर सड़क के साथ लगती जमीन के रेट कालम नम्बर 1 ता 6 में दिए है वही रेट लागू होंगे।					

नरवाना (नगरपालिका हद्द से बाहर सड़क के साथ लगते रेट दो एकड़ की गहराई तक जिसकी सूची साथ संलग्न है।

	2017.18		2017.18
	नैहरी / चाही		नैहरी चाही
	प्रति एकड़		प्रति एकड़
जीन्द रोड़	3700000		3700000
पटियाला रोड़	3700000		3700000
टोहाना रोड़	3700000		3700000
उकलाना रोड़	3700000		3700000
ढाकल रोड़	3700000		3700000
दबलैन रोड़	3100000		3100000

नोट

1	नरवाना शहर व प्रत्येक गांव की प्लाट मकान की वसीका के साथ नक्शा नजरी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2	प्रत्येक गांव की नहरी भूमि एक हजार गज तक अथवा डेढ कनाल तक की भूमि के भाव मुल्य सूचि में दर्शाए गए गैर मुमकिन आबादी वाले भाव देय होंगे। जिसके साथ भूमि का नक्सा लगाना अनिवार्य होगा।
3	नरवाना की प्रत्येक सड़क के साथ 50 फुट तक की गहराई व्यवसायिक स्थल मानी जाएगी।
4	वर्तमान बाजारी भाव की समीक्षा की गई। भूमि की कीमत में गत 6 मास के दौरान कोई उतार चढाव नहीं हुआ है। अतः इस आधार पर इसमें इस वर्ष के प्रथम 6 मास के अनुमोदित कलैक्टर रेट वर्ष 2017-18 के अगले 6 मास के लिए प्रस्तावित किये गये हैं।